



प्रेस विज्ञप्ति

26.03.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), देहरादून ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स ए टू जेड सॉल्यूशन, देहरादून के मामले में अनंतिम रूप से लगभग रुपये 1.26 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है।

ईडी ने मेसर्स ए टू जेड सॉल्यूशन के नाम से फर्जी कॉल सेंटर चलाने के लिए मेघा रावत और अन्य के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत साइबर पुलिस देहरादून द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। उक्त कॉल सेंटर उपयोगकर्ताओं को धोखाधड़ी से यह विश्वास दिलाकर कि कॉल सेंटर Microsoft Corporation से संबद्ध है, विदेशी ग्राहकों को धोखाधड़ी कर ऑनलाइन सहायता सेवाएँ प्रदान करने में शामिल था। उत्तराखंड पुलिस ने इस मामले में तलाशी अभियान चलाया था और मेसर्स ए टू जेड सॉल्यूशन के परिसर से नकदी जब्त की।

अपराध की आय (पीओसी) की पहचान के बाद, रुपये की नकदी के रूप में चल संपत्तियों को संलग्न करने के लिए 1.26 करोड़ रुपये के अनंतिम कुर्की आदेश जारी किये गये हैं।

आगे की जांच चल रही है।
